तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.12.20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारीजी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 4.1.21 को पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।
4.1.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उप०। की वकील श्री [illegible] ने बहस में बताया कि ख.न. 478, 449 व 489 में से रास्ता चाहते हैं हमने तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। संबंधित गमावों में ख.सं. 489. गै० मु० नाला है बहस में प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान में रास्ते में चलाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु स्थायी रूप से रास्ता चाहिए। इसके तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगणों को तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए न ही इसमें कोई जवाब पेश किया गया इसी प्रकार पत्रावली को समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना भी जरूरी है। तहसीलदार की रिपोर्ट में रास्ते के सम्बन्ध में 'अत्यधिक आवश्यकता' (Absolute necessity) का उल्लेख नहीं किया गया है और नहीं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने 'रास्ते की 'अत्यधिक आवश्यकता' पर कोई तर्क दिए। इस प्रकार राज० टिनेन्सी Act की धारा 251 A के अनुरूप Absolute necessary (अत्यधिक आवश्यकता) नहीं होने से प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार योग्य न [illegible] अस्वीकार किया जाता है उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज०)

Not Press

21/01/14 12:06

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.14 12:28:37 IST
Reason: SelfAttested